




अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

विविध कार्य सं० 13 (1) / 2018-19

दिनांक	आदेश फलक	अभिवृत्ति
<p>15/10/18</p> <p>30/10/18</p>	<p>आवेदक श्री तेजतारायण सिंह पिता राम जन्म सिंह सा० हेटौली गीघ, झरिया, धनबाद द्वारा मौजा मटकुरिया मौजा नं० 53 खाता नं० 34 प्लॉट नं० 808 रकवा 15 कट्टा भूमि के हुए दाखिल खारिज प्लॉट नं० 808 के स्थान पर प्लॉट सं० 803 लिपकीय भूलवश हो गया है, जिसे सशोधन हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी ने जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग करे। अभिलेख दिनांक 30/10/18 को रखे।</p> <p align="right">  अंचल अधिकारी, धनबाद। </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन समर्पित। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा मटकुरिया मौजा नं० 53, खाता नं० 34 प्लॉट नं० 808 रकवा 15 कट्टा खरीदगी भूमि है। जिसका दाखिल खारिज केंस सं० 122 (1) 1988-89 द्वारा होकर लगान रसीद जमाबंदी सं० 1428 में लगान रसीद निर्गत होता है। परन्तु हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भूलवश प्लॉट सं० 808 के स्थान पर 803 हो गया है। जिसे प्लॉट सं० 808 सुधार करने हेतु राजस्व कर्मचारी ने अनुशसा किया है।</p> <p>अतः हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त निदेश दिया जाता है कि मौजा मटकुरिया मौजा नं० 53 खाता नं० 34 प्लॉट नं० 808 रकवा 15 कट्टा भूमि के हुए दाखिल खारिज में लिपकीय भूलवश प्लॉट सं० 808 के स्थान पर प्लॉट सं० 803 हो गया है। जिसे जमाबंदी सं० 1428 में प्लॉट सं० 808 करने हेतु राजस्व कर्मचारी को दे। तदनुसार हल्का कर्मचारी को सूचित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p align="left">  अंचल अधिकारी, धनबाद। </p> <p align="right">  अंचल अधिकारी, धनबाद। </p>	

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

ज्ञापिका 86/0 दिनांक 21/1/18

प्रेषित,

श्री दयानन्द प्रसाद
राजस्व कर्मचारी, हल्का नं० 01,
धनबाद अंचल, धनबाद।

आपके जॉच प्रतिवेदन के आधार पर निदेश दिया जाता है कि कि मौजा मटकुरिया मौजा नं० 53 खाता नं० 34 प्लॉट नं० 808 रकवा 15 कट्टा भूमि के हुए दाखिल खारिज में लिपकीय मूलवश प्लॉट सं० 808 के स्थान पर प्लॉट सं० 803 हो गया है। जिसे जमाबंदी सं० 1428 में प्लॉट सं० 808 दर्ज करें।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

सेवा में

श्री जगत सिंघल भविलास महादेव
धारावा

विषय: - दाखील खासीज तथा जामांकी में चौक संख्या 803
के स्थापन पर 808 करों की संबंध में

महाराज

उपरोक्त विषय के संबंध में आठवां है कि दिए गए
आवेदन शौजा भक्तपुरिमा धारावा 53 के दलीला 258 टिकोंक,
18-1-78 के द्वारा जेजा तैज बजायन सिंह पिता श्री जगतसिंह
के नाम से कर कि गई भूमि है।

पेपी 11 का अर्पणकत किमा सं पात्रा सि

जामांकी संख्या 1488 में शौजा भक्तपुरिमा धारावा 53 के नाम
34 संख्या 803 तथा 15 कट्टा का जामांकी तैज बजायन सिंह
के नाम से जामांकी का मत है। ऐसे वाक्य खरीद 2011-2012 तक
निर्गत हैं। आवेदन द्वारा दिए गए आशुजात का अर्पणकत
किमा उपर जामांकी दाखील खासीज क्षेत्र 122 (A) 88-89 के
सहित प्रतिलिपि में संख्या 38 संख्या 803 तथा 15 कट्टा
वर्त है। दलीला में संख्या 38 संख्या 808 तथा 15 कट्टा है
दाखील खासीज की अनुसार जो जामांकी का मत है। इतके अनुसार
संख्या 803 के स्थापन पर संख्या 808 विविध बाद के अनुसार
सुधार किमाणा सकता है।

जगत सिंघल प्रसिद्ध न चर्गाफि

विशवासी

सिंह

हरमा

जगतसिंह धारावा

5.6
निधिवा
कर
20/09/18

06/09/18

जगतसिंह
प्रसिद्ध न चर्गाफि
संख्या 38 संख्या 803
तथा 15 कट्टा का
जामांकी तैज बजायन सिंह
के नाम से जामांकी का मत है।
इतके अनुसार
संख्या 803 के स्थापन पर
संख्या 808 विविध बाद के अनुसार
सुधार किमाणा सकता है।

जगतसिंह
संख्या 38 संख्या 803
तथा 15 कट्टा का
जामांकी तैज बजायन सिंह
के नाम से जामांकी का मत है।

6/9/18

5/10/18